

राजस्व लोक अदालत अभियान
 "न्याय आपके द्वार-2018"

32

256
 18

विकास लोक अदालत अभियान, लोक
 अदालत 2018 अदालत लोक अदालत
 लोक अदालत लोक अदालत लोक अदालत
 लोक अदालत लोक अदालत लोक अदालत
 लोक अदालत लोक अदालत लोक अदालत
 लोक अदालत लोक अदालत लोक अदालत
 लोक अदालत लोक अदालत लोक अदालत
 लोक अदालत लोक अदालत लोक अदालत
 लोक अदालत लोक अदालत लोक अदालत
 लोक अदालत लोक अदालत लोक अदालत
 लोक अदालत लोक अदालत लोक अदालत

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

शुद्ध को नदी किनारे
किसी इलाके में नदी किनारे



अपनी अविज्ञानी एवं
सहायक कलेक्टर
बाहपुरा (पीसबावा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्री के. आर. थारु, B.A.S.
कारण संख्या 589/2018

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956
उपयान

श्री. के. आर. थारु

श्री. के. आर. थारु

बनाम

- प्रार्थी / प्रार्थीगण

श्री. के. आर. थारु

श्री. के. आर. थारु

- विपक्षी / विपक्षीगण

उपस्थित :-

श्री. के. आर. थारु
कमिश्नर फीस

निर्णय

दिनांक 25/6/18

प्रार्थी/प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षी/विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है :- प्रार्थी/प्रार्थीगण के ग्राम शाहपुरा/ जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 214 पर खसरा नम्बर 0-725

कुल किता रकबा 0-725 हैक्टर का प्रार्थी/प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षी/विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थी/प्रार्थीगण एवं विपक्षी/विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है अतः पत्थरगढ़ी कराई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी/विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी/विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी/प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमावन्दी ग्राम संवत् 2079 से 2075 तक का अवलोकन किया उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थी/प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थी/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा में स्थित प्रार्थी/प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी/संयुक्त खातेदारी की आराजीयात किता रकबा 0-725 हैक्टर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा/ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस रुपये कायम किये जाते हैं जो प्रार्थी/प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा/ मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तहसील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 25/6/18 को सरे इजलास सुनाया गया।



प्रतिलिपि:-तहसीलदार, शाहपुरा/ पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी में निश्चयानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

श्री. के. आर. थारु
सहायक कमिश्नर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

श्री. के. आर. थारु
सहायक कमिश्नर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)